

**Time allowed : Three hours****Maximum Marks : 100**

Attempt any Five questions. Candidates have to answer Part (a) of the question in approximately 5 pages and Part (b) of the question in approximately 100 words. Give reasons in your answer and mention case law.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न के भाग (a) का उत्तर लगभग पाँच पृष्ठों में तथा भाग (b) का उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है। अपने उत्तरों में तर्क दीजिये तथा न्यायिक निर्णयों का उल्लेख कीजिये।

**P.T.O.**

2

**L-106**

“राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में विधि के समक्ष समता अथवा विधि का समान संरक्षण प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा।” विवेचना कीजिए। 16

(b) Write short note on ‘Doctrine of Eclipse’. 4

‘आच्छादन के सिद्धान्त’ पर एक टिप्पणी लिखिए। 4

4. (a) Discuss the Constitutional provisions of the President of India. Can he withhold a legislative bill passed by both the houses of Parliament? Illustrate your answer with the help of provisions of the Constitution of India. 16

भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिये। क्या वह संसद के दोनों सदनों से पारित किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से मना कर सकता है? अपने उत्तर को भारत के संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये दीजिये। 16

(b) Write a short note on “Collective Responsibility” of Council of Ministers. 4

1. (a) “Indian Constitution is federal at the time of peace and unitary in emergency.” Explain. 16

“भारतीय संविधान शान्ति के समय संघात्मक है और आपातकाल में एकात्मक होता है।” समझाइये। 16

(b) What is the preamble to the Constitution? 4

संविधान की प्रस्तावना क्या है? 4

2. (a) “Provisions contained in Part IV of the Indian Constitution are of its unique features.” Explain this statement. 16

“भारतीय संविधान के भाग IV में निहित प्रावधान इसकी अनोखी विशेषताएँ हैं।” इस कथन को समझाइये। 16

(b) Write a short note on fundamental duties of citizen. 4

नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 4

3. (a) “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.” Discuss. 16

मंत्रिपरिषद् के “सामूहिक उत्तरदायित्व” पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 4

5. (a) Explain in detail with the help of decided cases the powers, privileges and immunities of the Members of Parliament. 16

संसद के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों के बारे में निर्णित वादों की सहायता से सविस्तार समझाइये। 16

(b) Write short note on “Union Parliament”. 4

“संघीय संसद” पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 4

6. (a) Discuss the financial relationship between Centre and States. 16

केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की चर्चा कीजिये। 16

(b) Discuss the doctrine of ‘Pith and Substance’. 4

‘तत्त्व एवं सार’ के सिद्धान्त को समझाइये। 4

7. (a) Explain the various jurisdictions of the Supreme Court of India. 16

भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिये। 16

(b) Differentiate between Articles 32 and 226 of the Constitution in its applicability. 4

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 तथा 226 के मध्य इसके लागू होने के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिये। 4

8. (a) Write short notes on the following :

(i) Doctrine of pleasure.

(ii) Public Service Commission. 8 + 8

(i) प्रासाद का सिद्धान्त।

(ii) लोक सेवा आयोग। 8 + 8

(b) Write short note on 'Vidhan Parishad'. 4

विधान परिषद् पर एक टिप्पणी लिखिये। 4

9. (a) Write a detailed Essay on 'State Liability in torts'. 16

'अपकृत्य में राज्य का उत्तरदायित्व' पर एक विस्तृत निबंध लिखिये। 16

(b) What is right to property? 4

सम्पत्ति संबंधी अधिकार क्या है? 4

10. (a) State the facts, contentions and decision of Keshwnand Bharti Vs. State of Kerala, A.I.R. 1973 S.C. 1461. 16

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1973 सु.को. 1461 के वाद के तर्कों, तथ्यों एवं निर्णय का उल्लेख कीजिए। 16

(b) State the principles of law laid down in that case. 4

उसी वाद में प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिये। 4